राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2124/2011/नागौर.

मैसर्स जाजू एजेंसीज,
मेड़ता सिटी, नागौर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत–नागौर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.09.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 160/10-11/वैट/नागौर में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–नागौर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 04.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी का सर्वेक्षण दिनांक 08.08.2008 को व्यवसाय स्थल एवं निवास स्थान पर किया जाकर व्यवसाय संबंधी लेखा पुस्तकें एवं अन्य संदेहास्पद दस्तावेजों को अभिगृहित किया गया था। जिसकी जांच अपीलार्थी की उपस्थिति में करते हुए दिनांक 23.02.2010 को पूर्ण की जाने के पश्चात अभियोग स्थापित कर नोटिस दिया जाकर दिनांक 04.08.2010 को अधिनियम की धारा 24(5), 25, 55, 58, 61(1) एवं 75 के तहत आदेश पारित किया गया, जिसमें करवंचित बिक्री पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों की जांच उचित रुप से नहीं किये जाना मानकर प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रकरण में दस्तावेजों की समुचित जांच कर प्रत्येक बिन्दू पर सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करें। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुये कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत धाराओं के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया है व आदेश में गलत धाराएं भी अंकित की है तथा कर निर्धारण आदेश धारा 25 में माना जाने पर वह 6 माह के पश्चात होने से अवधि पार भी है परन्तु इन बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना अपीलीय अधिकारी

लगातार.....2

द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, वह अविधिक है। अतः कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. राजस्व की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी व्यवसायी का सर्वेक्षण किया जाकर संदेहास्पद बहियात एवं दस्तावेजों का अभिग्रहण किया जाकर उसकी ऑडिट कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में की गई थी। ऑडिट के दौरान की गई जांच से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपये की बिक्री पर कर का अपवंचन किया है। इस आधार पर कर ब्याज व शास्ति आरोपित की गई थी परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात यह निर्णय किया गया कि अभिगृहित दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन उचित रुप से नहीं किया गया है एवं पुनः जांच व सत्यापन हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय आदेश में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई विधिक आपत्तियों पर भी विवेचन किया गया है एवं उन पर निर्णय देते हुये अपीलार्थी की आपत्तियों को खारिज किया गया एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। हमारे समक्ष पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि करवंचना के आरोप में जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है वह इस आधार पर अपास्त किया जावें कि वह आदेश अधिनियम की असंबंधित धाराओं में पारित किया गया है एवं अवधि पार होने से भी अपास्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बिन्दूओं पर विचार किया तब पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान संदेहास्पद बहियात की जांच करने हेतु उनका अभिग्रहण किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई अभियोग स्थापित नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक का यह कथन विधिनुकूल नहीं है कि जांच का दिन ही अभियोग स्थापित होने का दिन माना जावें क्योंकि किसी भी जांच के पश्चात यदि यह प्रमाणित होता है कि व्यवसाय संबंधी विक्रय नियमित बहियात में प्रविष्ट किये हुये नहीं है तभी कोई अभियोग स्थापित होता है। चूंकि इस प्रकरण में अभिग्रहित बहियात की सम्पूर्ण जांच दिनांक 23.02.2010 को पूरी हुई थी अतः दिनांक 23.02.2010 को अभियोग स्थापित होने के दिन से 6 माह के भीतर आदेश पारित किया जा सकता है जो दिनांक 28.08.2010 तक अवधि पूर्ण होती है जबकि उक्त आदेश दिनांक 04.08.2010 को पारित कर दिया गया था, जो समयावधि में है। अतः विद्वान अभिभाषक के कथन को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन के साथ खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

विद्वान अभिभाषक के गलत धाराओं के अंकन सम्बन्धी कथनों पर विचार किया गया। कर निर्धारण आदेश में धारा 25 का अंकन किया हुआ है एवं धारा 75 का अंकन भी किया हुआ है उसमें कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण में माल का भौतिक सत्यापन किया हुआ था जिसकी जांच की जाने पर उसमें स्टॉक सम्बन्धि कोई अनियमितता न होने से धारा 75 के तहत कोई शास्ति आरोपित नहीं करने का

लगातार.....3

निर्णय आदेश में किया गया है कि भौतिक रुप से कोई माल अधिक नहीं पाया गया। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में धारा 75 को वर्णित करने से कोई अनियमितता नहीं की है अतः इस आधार पर विधिसम्मत कर निर्धारण आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता। इस तरह कर निर्धारण आदेश को तकनीकी आधार पर अपास्त करने के तर्क को अपीलीय अधिकारी ने खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है, बल्कि न्यायहित में अभिग्रहित दस्तावेजों की दुबारा जांच करने का अवसर देकर एक न्यायिक आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील खारिज कर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलीर्थी व्यवसायी को निर्देश दिये जाते है कि वे अभिगृहित बहियात की जांच हेतु अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य